<u>न्यायालय-सिविल न्यायाधीश वर्ग-2, आमला, जिला बैतूल (म०प्र०)</u> (पीठासीन अधिकारी-धन कुमार कुडोपा)

<u>व्यव0वाद क0—21ए / 13</u> <u>संस्था0 दि0—14—05—13</u> फाईलिंग नं.233504000082013

- 1. जागेश्वर पिता नरसिंगराव पारखे, उम्र 65 वर्ष, जाति कुन्बी, निवासी सोनेगांव, तह० आमला, जिला बैतूल (म०प्र०) हा०मु० प्लाट नं.3 प्रतापनगर शांति निकेतन, नागपुर (महा०)
- 2. मनोहर पिता नरसिंगराव पारखे, उम्र 56 वर्ष, जाति कुन्बी, नि0 सोनेगांव, तह0 आमला, जिला बैतूल (म0प्र0)
- 3. अरूण पिता नरसिंगराव पारखे, उम्र 52 वर्ष, जाति कुन्बी, नि0 सोनेगांव, तह0 आमला, जिला बैतूल (म0प्र0)
- 4. श्रीमती कमला बेवा गुलाबराव बारस्कर, उम्र 70 वर्ष, जाति कुन्बी, नि0 चन्दनगांव, तह0 जिला छिन्दवाड़ा (म0प्र0)
- 5. श्रीमती सुशीला पति शेषराव बारस्कर, उम्र 58 वर्ष, जाति कुन्बी नि0 घाटबिरोली, तह0 मुलताई, जिला बैतूल (म0प्र0)

___वादीगण

-:: विरूद्ध ::-

- 1. विट्ठलराव पिता श्यामराव पारखे, उम्र 78 वर्ष, (मृत) मृत प्रतिवादीगण क्रं.1 के वारसान—
- अ. सतीष पिता विट्ठलराव पारखे, उम्र 62 वर्ष,
- ब. सुनील पिता विट्डलराव पारखे, उम्र 40 वर्ष,
- स. श्रीमति सुलभा पति मधुकर वराठे, उम्र ६४ वर्ष,
- द. श्रीमति वंदू पति राजू सीरसीकर, उम्र 32 वर्ष,
- इ. श्रीमती शांताबाई उर्फ आशा बेवा विट्ठलराव पारखे, उम्र 75 वर्ष, सभी जाति कुन्बी, नि0 प्लॉट नं. 19 स्वावलम्बी नगर, नागपुर (महा०)
- 2. शिवाजी पिता दसरू पवार, उम्र 65 वर्ष, जाति पवार, नि0 बोरगांव, तह0 आमला, जिला बैतूल (म0प्र0)
- 3. विश्वनाथ उर्फ मधु पिता नरसिंगराव पारखे, उम्र 62 वर्ष, जाति कुन्बी, सा० सोनगांव, तह० आमला, जिला बैतूल (म०प्र०)
- 4. म०प्र० शासन द्वारा जिलाधीश बैतूल (म०प्र०)

----<u>प्रतिवादीगण</u>

—:: आदेश ::— (आज दिनांक 29/11/2016 को पारित)

- 1— इस आदेश द्वारा आदेश 39 नियम 1 व 2 सहपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता. 1908 का आवेदन का निराकरण किया जा रहा है।
- 2— वादी का वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण के दादा श्यामराव एवम् प्रति० कं० एक के पिता के द्वारा उनके जीवनकाल में मौजा सोनेगांव की कुछ सम्पत्ति का आपसी विभाजन कर दिया था। जिसके अनुसर नरसिंगराव के हिस्से में आई भूमि खसरा नं० 11 रकबा हेक्टेयर 1.364 खसरा नं० 34 रकबा 1.311 खसरा नं० 90 में 1/2 रकबा 0.599 खसरा नं० 92 रकबा 0.134 खसरा नं० 467 रकबा 5.747, (ब) बिटडलराव के हिस्से में आई भूमि खसरा नं० 12 रकबा हेक्टेयर 1.196 खसरा नं० 33 रकबा 1.226 खसरा नं० 91 रकबा 0.162 खसरा नं० 90 में से 1/2 रकबा 0.599 खसर नं० 468 रकबा 4.650, राजस्व अभिलेख में त्रुटिवश ख0नं० का पूर्ण रकबा प्रतिवादी कं0—1 के नाम से दर्ज हो गया, जबिक प्रतिवादी कं0—1 के नाम से खसरा नं0—90 रकबा 1.197 हेक्टेयर भूमि में से आधी भूमि रकबा लगभग 0.599 हेक्टेयर दर्ज होना चाहिए था, स्व० श्यामराव के द्वारा वर्ष 1950—51 में किये गये बटवारे के अनुसार ख0नं० 90 रकबा 1.197 हेक्टे० भूमि के आधे भाग अर्थात् 0.598 हेक्टे० भूमि पर वादीगण का कब्जा एवम् आधिपत्य वर्ष 1950 से आज तक लगातार चला आ रहा है।
- 3— वादीगण ने वादपत्र में बताया है कि जिसकी चतुर्सीमा पूर्व दिशा में श्यामराव कवड़कर का खेत, पश्चिम दिशा में प्रतिवादी कं0—1 का खेत, उत्तर दिशा में नाला के बाद मानिकराव देशमुख का खेत, दिक्षण दिशा में ख0नं0 92 की शेष भूमि। प्रतिवादी कं0—1 के द्वारा वादीगण के मालकी एवं आधिपत्य की उपरोक्त चतुर्सीमा की भूमि को प्रतिवादी कं0—2 को विक्रय करने का सौदा अर्थात् सम्पूर्ण ख0नं0—90 को विक्रय करने का सौदा पौने छः लाख रूपये प्रति एकड़ के हिसाब से उसी वर्ष माह मार्च में किए जाने की जानकारी वादीगण को प्राप्त हुई है तथा प्रतिवादी कं0—1 शीघ्र ही प्रति0 कं0—2 के पक्ष में रिजस्टर्ड विक्रय पत्र सम्पादित कराने की फिराक में है, जबिक प्रतिवादी कं0—1 को ख0नं0—90 की सम्पूर्ण भूमि विक्रय करने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है।
- 4— वादीगण ने वादपत्र में बताया है कि उसी प्रकार ख0नं0 34 रकबा 1.311 की भूमि वादीगणों के हिस्से में आई थी तथा उक्त खसरा नं0 34 पर वादीगणों का ही कब्जा एवम् आधिपत्य वर्ष 1950 से लगातार चला आ रहा है तथा

ख0नं0 33 रकबा 1.226 भूमि प्रतिवादी कं0—1 के हिस्से में आई थी जिस पर प्रतिवादी कं0—1 का कब्जा एवम् आधिपत्य चला आ रहा है, परन्तु राजस्व अभिलेखों में ख0नं0 34 प्रतिवादी कं0—1 के नाम से दर्ज है तथा ख0नं0 33 वादीगणों के नाम से दर्ज है। खसरा नं0 34 वादीगणों के नाम से दर्ज किया जावे तथा ख0नं0 33 प्रतिवादी कं0—1 के नाम से दर्ज किया जावे।

वादीगण ने अपने आवेदन में बताया है कि ख0नं0 467 रकबा 5.747 हेक्टे० भूमि वादीगणों के कब्जे एवम् आधिपत्य में चली आ रही है तथा ख0नं० 468 रकबा 4.650 हेक्टे0 भूमि में से खेड़ली बाजार सोनेगांव पक्की सड़क बनी है जिसमें ख0नं0 468 की लगभग एक ढेड़ एकड़ भूमि आधिगृहित की गई है तथा उसी भूमि में से बुन्डाला डेम की बड़ी नहर भी गई है जिसमें लगभग एक एकड़ भूमि नहर में गई है इस प्रकार ख0नं0 468 में से सड़क एवम् नहर निर्माण में लग दो—ढाई एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया है परन्तु प्रतिवादी कं0-1 के द्वारा सम्पूर्ण रकबा 4.650 का विक्रय अन्य व्यक्तियों को किया जा चुका है जबकि प्रतिवादी कं0-1 के द्वारा अनाधिकृत रूप से वादीगणों की कृषि भूमि ख0नं0-467 की लगभग दो-ढाई एकड भूमि पर कब्जा कर लिया था तथा प्रतिवादी कं0-1 के द्वारा धोकाधडी कर सडक और नहर में जमीन अधिग्रहित की जाने के वावजूद वादीगणों की कृषि भूमि में अनाधिकृत रूप से कब्जा कर सम्पूर्ण रकबा खसरा नं0 468 का विक्रयं किया है जिसका सीमांकन कर वादीगणों को खसरा नं0 467 की भूमि प्रतिवादी कं0-1 से जो अनाधिकृत कब्जा कर विक्रय की है, का कब्जा दिलवाया जावे। वादी एवम् प्रतिवादी कं0-1 के मध्य खसरा नं0 467, 468, 90, 33, एवम् 34 को लेकर विवाद बना हुआ है जो उस प्रकरण में विवादग्रस्त भूमि के नाम से जाना एवम पहचाना जावेगा।

6— वादीगण ने अपने आवेदन में बताया है कि प्रतिवादी कं0—1 के द्वारा वादीगणों के पिता के मध्य वर्ष 1987 में फेहरिस्त बटवारा पंचों के सम्मुख पुनः किया गया और यह तय किया कि ख0नं0 90 जिस पर आधे भाग पर वादीगणों का कब्जा एवम् आधिपत्य चला आ रहा है तथा जो जमीन के नम्बर रकबा गलती से एक दूसरे के नाम पर रिकार्ड में गलती से चले आ रहे हैं इसलिए वादीगणों के पिता एवं प्रतिवादी कं0—1 तहसीलदार के समक्ष फेहरिस्त बटवारा के मुताबिक भूमि उनके उनके नाम पर करा लेंगे, परन्तु प्रतिवादी कं0—1 नागपुर में सरकारी नौकरी मैं कार्यरत थे वह फेहरिस्त बटवारे के अनुसार तहसीलदार के यहां आवेदन प्रस्तुत करने में टाला मटोली करते रहे, चूंकि प्रतिवादी कं0—1 वादीगणों के काका है वादीगण उनकी बातों पर विश्वास करते चल आ रहे थे तथा अपने—अपने हिस्से में आई भूमि पर काबिज होकर कास्त करते चले आ रहे है, परन्तु प्रतिवादी कं0—1

के द्वारा ख0नं0 90 की सम्पूर्ण भूमि को विक्रय करने का सौदा प्रतिवादी कं0—2 से किया गया है जिस कारण पहली बार प्रतिवादी कं0—1 के द्वारा वादीगणों के स्वत्व को चुनौती दी गई है जिस कारण से वादीगणों को यह वाद स्वत्व की उद्घोषणा एवम् स्थायी निषेधाज्ञा तथा विभाजन और आधिपत्य की पुष्टि बाबत् पेश करना आवश्यक हुआ है।

वादीगण ने अपने आवेदन में बताया है कि मौजा सोनेगांव की कृषि 7— भूमि खसरा नं0-126 रकबा 0.526 में से 1/2 रकबा 0.263 हेक्टेयर तथा ख0नं0 316 रकबा 6.718 हेक्ट0 में से 1/2 एवम् एक हराई अर्थात् एक एकड् जमीन ज्यादा रकबा 3.764 हेक्टे0 एवम ख0नं0 223 रकबा 0.955 हेक्टे0 में से 1/2 भाग 0.477 हेक्टे0 कृषि भूमि पर वादीगणों का कब्जा एवम् आधिपत्य चला आ रहा है तथा शेष भूमि पर प्रतिवादी कं0-1 का कब्जा एवम् आधिपत्य है। खसरा नं0-90 रकबा 1.197 की भूमि कंडिका कं0-3 'स' में वर्णित भूमि जिस पर वादीगणों का कब्जा एवम् आधिपत्य वर्ष 1950 से आज तक बिना किसी विरोध और रूकावट के लगातार चला आ रहा है, तथा बटवांरे में वादीगणों के पिता स्व0 नरसिंगराव को उनके पिता श्यामराव के द्वारा बटवांरे में दी गई है, तब से उक्त भूमि का उपयोग एवं उपभोग वादीगण करते चले आ रहे है, तब से उक्त भूमि का उपयोग एवं उपभोग वादीगण करते चले आ रहे है, ऐसी स्थिति में उक्त भूमि पर वादीगणों को स्वत्व प्राप्त हो चुका है जिसे विक्रय करने का प्रतिवादी कं0-1 को कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है, यदि प्रतिवादी कं0-1 को वादीगण के मालकी एवम् आधिपत्य की वादग्रस्त भूमि को अन्यत्र विकय या हस्तान्तरित करने से नहीं रोका गया तो वादीगण को अपूर्णीय क्षति होगी, जिसकी भरपाई दृव्य में नहीं ऑकी जा सकती है तथा वादीगणों को बहुलवादों का सामना करना पड़ेगा। उक्त आधारों पर वादी ने अपना आवेदन स्वीकार किए जाने का निवेदन किया है।

8— प्रतिवादीगण ने वादी के आवेदन का जवाब पेश कर विरोध प्रगट कर अपने जवाब में व्यक्त किया है कि नरसिंगराव को खसरा नं0 90 में से 0598 हेक्टे0 एवं विट्ठलराव को खसरा नं0—90 में से 1/2 रकबा 0.599 हेक्टे0 भूमि विभाजन में मिली थी। खसरा नं0—90 की पूर्व प्रतिवादी कं0—1 विट्ठलराव के स्वत्व एवं आधिपत्य की है जिस पर उसका राजस्व अभिलेख में नाम भी दर्ज है जो उसके बटवारे में प्राप्त भूमि है। जबिक प्रतिवादी कं0—1 के नाम से खसरा नं0—90 का रकबा 0.599 हेक्टे0 दर्ज होना चाहिए। राजस्व अभिलेख में विट्ठलराव को बटवारे में प्राप्त उसके स्वत्व एवं आधिपत्य के अनुसार प्रविष्ठी की गई है जिसके विरूद्ध वादी द्वारा कभी कोई अपील या कार्यवाही नहीं की। वादी को प्रतिवादी कं0—1 की भूमि को हस्तांतरण करने से रोकने का कोई अधिकार नहीं है हालांकि प्रतिवादी कं0—1

अपनी भूमि का कहीं कोई विक्रय नहीं कर रहा है। प्रतिवादी कं0—1 को बटवांरे में खसरा नं0—34 रकबा 1.311 हेक्टे0 भूमि बटवांरे में प्राप्त हुई थी जिसके अनुसार प्रतिवादी कं0—1 का स्वत्व एवं आधिपत्य चल रहा है।

9— प्रतिवादीगण ने अपने जवाब में बताया है कि खसरा नं0 467 की पूर्व की भूमि वादीगण के स्वत्व एवं आधिपत्य की रही है उसका खसरा नं0 467/1 की 3.218 हेक्टे0 भूमि पर राजस्व अभिलेख में नाम दर्ज है उससे अधिक भूमि पर उसके कोई स्वत्व प्राप्त नहीं होता है। वादीगण स्पष्ट अधिकार के ख0नं0 467, 468, 90, 33 एवं 34 में विवाद उत्पन्न कर रहे है। प्रतिवादी कं0—3 के द्वारा वादीगण द्वारा प्रस्तुत असत्य वाद में सहमति व्यक्त किए जाने के कारण उसे प्रतिवादी पक्ष में रखा गया है। वादीगण द्वारा बिना किसी आधार के मनगढ़न्त कथन कर प्रतिवादी कं0—1 द्वारा विकय करने संबंधी कथन किए है ऐसी स्थिति में वादीगण द्वारा प्रतिवादी कं0—1 को अनावश्यक परेशान करने एवं उसके स्वत्व एवं आधिपत्य की भूमि हड़पने की नियत में अस्वच्छ हाथों से वास्तविक तथ्यों को छुपाकर अस्थाई निषधाज्ञा की आड़ में प्रतिवादी कं0—1 की भूमि हड़पने के उद्देश्य से झूठा आदेश किया है जो कि निरस्त किए जाने योग्य है। विवादित भूमि वादीगण के स्वत्व एवं आधिपत्य की न होने से उनका वाद सुदृढ़ नहीं है और न ही सुविधा का संतुलन उनके पक्ष में है इसलिए उन्हें अस्थाई निषधाज्ञा प्राप्त करने की पात्रता एवं अधिकारिता नहीं है। उक्त अधारों पर वादीगण का आवेदन निरस्त किए जाने का निवेदन किया है।

10— अस्थाई निषेधाज्ञा के निराकरण के आवेदन में निम्नलिखित 3 बिन्दु मुख्य रूप से विचारणीय है:—

- 1. क्या प्रथम दृष्टया मामला वादी के पक्ष में है ?
- 2. क्या सुविधा का संतुलन वादी के पक्ष में है ?
- 3. क्या यदि वादी के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान न की गई तो उन्हें अपूर्णीय क्षति होगी?

<u>प्रथम दृष्टया मामला</u>

11— वादी ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किए जाने का निवेदन किया है कि प्रतिवादी कं 1 को प्रति कं 2 या अन्य किसी के पक्ष में वादग्रस्त सम्पत्ति के विक्रय या हस्तांरण से रोका जावे। उक्त आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा के निराकरण के लिए सर्वप्रथम यह देखा जाना होगा कि क्या वादीगण का विवादित भूमि पर हित व कब्जा है।

12— वादीगण ने अपने आवेदन में बताया है कि वादीगण के दादा श्यामराव एवम् प्रति० कं० एक के पिता के द्वारा उनके जीवन काल में मौजा सोनेगांव की कुछ सम्पत्ति का आपसी विभाजन कर दिया था। जिसके अनुसर नरसिंगराव के हिस्से में आई भूमि खसरा नं० 11 रकबा हेक्टेयर 1.364 खसरा नं० 34 रकबा 1.311 खसरा नं० 90 में 1/2 रकबा 0.599 खसरा नं० 92 रकबा 0.134 खसरा नं० 467 रकबा 5.747, (ब) बिट्ठलराव के हिस्से में आई भूमि खसरा नं० 12 रकबा हेक्टेयर 1.196 खसरा नं० 33 रकबा 1.226 खसरा नं० 91 रकबा 0.162 खसरा नं० 90 में से 1/2 रकबा 0.599 खसरा नं० 468 रकबा 4.650, राजस्व अभिलेख में त्रुटि वश खसरा नं. 90 का पूर्ण रकबा प्रतिवादी कं 1 के नाम से दर्ज हो गया, जबिक प्रतिवादी कं 1 के नाम से खसरा नं. 90 का रकबा 1.197 हे० भूमि से आधी भूमि रकबा लगभग 0.599 हे० दर्ज होना चाहिए था। स्व० श्यामराव के द्वारा सन् 1950—51 में किए गए बटवांरे के अनुसार 90 का रकबा 1.197 हे० भूमि के आधे भाग अर्थात् 0.590 है, भूमि पर वादीगण का कब्जा व आधिपत्य सन् 1950 से चला आ रहा है।

13— प्रतिवादी कं 1 के द्वारा वादीगण के स्वत्व आधिपत्य की प्रतिवादी कं. 2 को विक्रय करने का सौदा अर्थात् संपूर्ण खसरा नं. 90 को विक्रय करने का सौदा पौने छेः लाख प्रति एकड़ के हिसाब से इसी वर्ष माह मार्च में किए जाने की जानकारी वादीगण को प्राप्त हुई तथा प्रतिवादी कं 1 शीघ्र ही प्रतिवादी कं 2 के पक्ष में रिजस्टर्ड विक्रय पत्र संपादित कराने के पक्ष में है, जबिक प्रतिवादी कं 1 को खसरा नं. 90 की संपूर्ण भूमि विक्रय करने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

14— इसके विपरित प्रतिवादीगण की ओर से अपने जवाब में व्यक्त किया है कि खसरा नं. 90 की पूर्ण भूमि प्रतिवादी कं 1 विट्ठलराव के स्वत्व एवं आधिपत्य की है जिस पर उसका राजस्व अभिलेख में नाम दर्ज है जो उसके बटवांरे में प्राप्त भूमि है। वादी को प्रतिवादी कं 1 की भूमि को हस्तांतरण करने से रोकने का कोई अधिकार नहीं हैं, हालांकि प्रतिवादी कं 1 अपनी भूमि का कहीं कोई विक्रय नहीं कर रहा है। इस प्रकार वादीगण के आवेदन एवं प्रतिवादीगण के जवाब से यह स्पष्ट होता है कि वादीगण का विवादित भूमि पर हित है। क्योंकि स्वयं प्रतिवादीगण ने अपने जवाब की कंडिका 2 में व्यक्त किया है कि राजस्व अभिलेखों में विट्ठलराव को प्राप्त उसके स्वत्व व आधिपत्य के अनुसार प्रविष्टि की गई है जिसके विरुद्ध वादी के द्वारा कोई अपीलीय या कार्यवाही नहीं की गई। इस प्रकार विवादित भूमि उनके पूर्वजों की है, जो कि उत्तराधिकार में उन्हें प्राप्त हुई है जिससे वादीगण का हित स्पष्ट दर्शित होता है।

- 15— वादीगण ने अपने समर्थन में किस्तबंदी खतौनी एवं खसरा वर्ष 2012—13 प्रस्तुत किया है जिसमें खसरा नं. 11 रकबा 1.364, खसरा नं. 33 रकबा 1.226, खसरा नं. 92 रकबा 0.134, खसरा नं. 467/1 रकबा 3.218, कुल रकबा 5.942 हे0 भूमि पर वादीगण भूमि स्वामी के रूप में नाम उल्लेख है। नक्शा वर्ष 2012—13 का प्रस्तुत किया है जिसमें उपरोक्त भूमि पर वादीगण का नाम भूमि स्वामी के रूप में उल्लेख है। किश्तबंदी खतौनी, खसरा वर्ष 2012—13 प्रस्तुत किया है जिसमें खसरा नं. 12 रकबा 1.197, खसरा नं. 34 रकबा 1.311, खसरा नं. 90 रकबा 1.197 खसरा नं. 91 रकबा 0.162 कुल रकबा 3.867 हे0 भूमि प्रतिवादी कं 1 अ से ई के पूर्वज विट्ठलराव का नाम भूमि स्वामी के रूप में उल्लेख है, उक्त भूमि का नक्शा वर्ष 2012—13 प्रस्तुत किया है जिसमें भी प्रतिवादी कं 1 अ से ई के पूर्वज विट्ठलराव के नाम से भूमि स्वामी के रूप में उल्लेख है। फेहरिस्त बटवांरानामा प्रस्तुत किया गया है जिसके अनुसार पूर्व में विवादित भूमियों को बटवांरा होना दर्शित होता है।
- 16— जमाबंधी सन् 1942—43 की प्रस्तुत की है जिसमें खसरा नं. 7 रकबा 12.23, खसरा नं. 9 रकबा 0.25 कुल रकबा 12.48, खसरा नं. 66 रकबा 2.96, खसरा नं. 86 रकबा 1.30, खसरा नं. 135/2 रकबा 1.20, खसरा नं. 323 रकबा 23. 97, खसरा नं. 388/3 रकबा 1.00, जो श्यामराव पिता गनपत के नाम से दर्ज है। नगरीय तथा नगरोत्तर क्षेत्र का अधिकार अभिलेख वर्ष 1992 जिसमें खसरा नं. 6/1 रकबा 3.36, खसरा नं. 7/1 रकबा 1.364, खसरा नं. 7/3 रकबा 3.03/1.226 खसरा नं. 67/2 रकबा 0.33/0.134, खसरा नं. 323/1 रकबा 14.20/5.747 जो नरसिंहराव श्यामराव का नाम भूमि स्वामी के रूप में उल्लेख है।
- 17— किन्तु राजस्व निरीक्षक के द्वारा जो सीमांकन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है उसकी कंडिका ''स'' में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि खसरा नं. 90 का मौका जांच करने पर दो भागों में विभाजीत है। प्रथक—प्रथक मेड़ है जो उत्तर दक्षिण दिशा में है। पूर्व में अरूण पिता नरसिंगराव का कब्जा है तथा पश्चिम में सुनिल पिता विट्ठलराव का कब्जा एवं जोत लगभग 40—45 वर्ष से है एवं मेड़ बनी हुई है। इस प्रकार उक्त सीमांकन रिपोर्ट एवं पंचनामा के साथ नक्शा जो प्रस्तुत किया गया है, उक्त दस्तावेजों से यही स्पष्ट होता है कि खसरा नं. 90 पर वादीगण का कब्जा स्पष्ट रूप से दर्शित होता है, जो कि विवादित भूमि खसरा नं. 90 पर वादीगण का हित व कब्जा दर्शित होने से प्रथम दृष्टया मामला वादी के पक्ष में निराकृत किया जाता है।

सुविधा का संतूलन एवं अपूर्णीय क्षति का बिंदू

18— विचारणीय प्रश्न कं 1 से यह स्पष्ट हो चुका है कि विवादित भूमि पर वादीगण का हित व कब्जा है। यदि प्रतिवादी कं. 1 के वारसान एवं शेष प्रतिवादीगण के द्वारा विवादित भूमि को विक्रय किया जाता है तो वादीगण को अधिक असुविधा एवं क्षति होगी, जिसकी पूर्ति धन से नहीं की जा सकती और बहुलवाद में भी वादीगण को पड़ना पड़ेगा। उक्त परिस्थिति में सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय के क्षति का बिन्दू वादीगण के पक्ष में निराकृत किया जाता है।

19— उर्पयुक्त किए गए साक्ष्य एवं विश्लेषण से प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षित का बिंदू भी वादी के पक्ष में निराकृत किया गया है। अतः वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरुद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि विवादित भूमि पर प्रकरण के निराकरण तक स्वयं या अन्य किसी के माध्यम से विक्रय व हस्तान्तरण न करें। ऐसी परिस्थिति में वादीगण की ओर से प्रस्तुत आदेश 39 नियम 1 व 2 सिविल प्रक्रिया संहिता का आवेदन स्वीकार किया जाता है।

आदेश खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर पारित किया गया।

मेरे निर्देशन पर कम्प्यूटर पर टंकित किया गया।

(धनकुमार कुडोपा) सिविल न्यायाधीश वर्ग—2 आमला जिला बैतूल म.प्र. (धनकुमार कुडोपा) सिविल न्यायाधीश वर्ग–2 आमला जिला बैतूल म.प्र.